कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail :- dfonnagar-forest-uk@nic.in Tel./Fax :- 0135 – 2442052

पत्रांकः– 2021 /12-1(23) दिनांक, मुनिकीरेती, 02/05 /2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विधुत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0
नई टिहरी।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल के अन्तर्गत ग्राम गूलर से विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 विद्युत उप संस्थान के प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/10660/2015 हेतु 0.12 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्र संख्या–3325/ FP/UK/OTHER/10660/2015 दिनांक 07–04–2017।

उपरोक्त विषयक विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है में भारत सरकार द्वारा कतिपय अधिरोपित शर्तो के अधीन जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का उल्लेख है। भारत सरकार के पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/09६63/2016/एफ0सी0/2181 दिनांक 30–03–2017 में दी गयी शर्तो के कम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

1- <u>शर्त संख्या–01 के</u> अनुपालन में प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा 120 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु वसूली वर्ष 2017–18 हेतु @ 1000.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल मु0 01,20,000.00 की धनराशि जमा करनी होगी।

2- <u>शर्त संख्या–02.</u> एन0पी0बी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 0.12 हे0 हेतु @ 6,57,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 78,840.00 धनराशि जमा करनी होगी।

3- <u>शर्त संख्या–03 के</u> अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्वता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जहां–जहां सम्भव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा।

4- <u>शर्त संख्या– 04</u>. के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्वता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0बी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

Scanned by CamScanner

5- **शर्त संख्या–05** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जेनरेट होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

6- **शर्त संख्या– 06.** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावारण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(राहुल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षरण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी शिवपुरी राजि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राहुल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

Scanned by CamScanner